

UGC NET Paper 3 December 28, 2008 Shift 1 Law Question Paper

Signature and Name of Invigilator

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

(In figures as per admission card)

1. (Signature) _____

(Name) _____

2. (Signature) _____

(Name) _____

Roll No. _____

(In words)

Test Booklet No.

D-5808**PAPER – III****LAW****[Maximum Marks : 200]****Time : 2½ hours]****Number of Pages in this Booklet : 40****Number of Questions in this Booklet : 26****Instructions for the Candidates**

- Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

No Additional Sheets are to be used.

- At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :

(i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.

(ii) Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.

- Read instructions given inside carefully.
- One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
- If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
- You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
- Use only Blue/Black Ball point pen.
- Use of any calculator or log table etc. is prohibited.
- There is NO negative marking.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
- लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।

इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।

- परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :

(i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।

(ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

- अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
- यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
- आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
- केवल नीले/काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।
- किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।
- गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।

LAW**विधि****PAPER – III****प्रश्न-पत्र – III**

NOTE: This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंकों का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

SECTION - I

खण्ड – I

Note : This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है।

(5x5=25 अंक)

Now, we may point out that so far as the court is concerned, the special leave petitions of “small men” are as much entitled to consideration as special leave petitions of “big industrialists”. In fact, this court has always regarded the poor and the disadvantaged as entitled to preferential consideration than the rich and the affluent, the businessmen and the industrialists. The reason is that the weaker sections of Indian humanity have been deprived of justice for long, long years : they have had no access to justice on account of their poverty, ignorance and illiteracy. They are not aware of the rights and benefits conferred upon them by the constitution and the law. On account of their socially and economically disadvantaged position they lack the capacity to assert their rights and they do not have the material resources with which to enforce their social and economic entitlements and combat exploitation and injustice. The majority of the people of our country are subjected to the denial of access to justice and overtaken by despair and helplessness, they continue to remain victims of an exploitative society where economic power is concentrated the hands of a few and it is used for the perpetuation of domination over large masses of human beings. This court has always therefore, regarded it as its duty to come to the rescue of those deprived and vulnerable sections of Indian humanity in order to help them realise their economic and social entitlements and to bring to an end their oppression and exploitation. The strategy of public interest litigation has been evolved by this court with a view to bringing justice within the easy reach of the poor and the disadvantaged sections of the community. This court has always shown the greatest concern and anxiety for the welfare of the large masses of people in the country who are living a life of want and destitution, misery and suffering and has become a symbol of hopes and aspirations of millions of people in the country. It is, therefore, not correct to say that this court is not giving to the “small men” the same treatment as it is giving to the “big industrialists”. In fact, the concern shown to the poor and the disadvantaged is much greater than that shown to the rich and the well-to-do because the latter can on account of their dominant social and economic position and large material sources, resist aggression on their rights where the poor and the deprived just do not have the capacity or the will to resist and fight.

अब, हम यह इंगित कर सकते हैं कि जहाँ तक इस न्यायालय का सम्बन्ध है, ‘छोटे व्यक्तियों’ की विशेष इजाजत याचिकायें उतनी ध्यान योग्य हैं जितनी ‘बड़े उद्योग पतियों’ की विशेष इजाजत याचिकायें। वस्तुतः इस न्यायालय ने निर्धनों एवं अभावग्रस्तों को धनी एवं समृद्ध व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की तुलना में वरीय ध्यान का अधिकारी समझा है। कारण यह है कि भारतीय मानवता का अपेक्षाकृत दुर्बल भाग, बहुत दिनों, बहुत वर्षों से न्याय से वंचित रहा है, इनकी

स्वयं की निर्धनता, अज्ञता एवं अशिक्षा के कारण, न्याय तक पहुंच नहीं है। ये संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं लाभों से अवगत नहीं हैं। स्वयं के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अभावग्रस्त स्थिति के कारण उनके पास अपने अधिकारों के प्राख्यान करने का सामर्थ्य नहीं है, उनके पास अपने सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारिताओं का प्रवर्तन करा सकने एवं शोषण तथा अन्याय का मुकाबला कर सकने के लिये भौतिक संसाधनों का अभाव है। हमारे देश के अधिकांश लोग न्याय तक पहुंच की वंचना के अधीन हैं तथा निराशा एवं बेचारगी के घेरे में हैं, ये एक शोषणयुक्त समाज जहां आर्थिक सत्ता कुछ मुट्ठी भर लोगों में संकेन्द्रित है और इसका प्रयोग लोगों के बृहत जनसमूह पर प्रभुत्व के सातत्य के लिये होता है, के शिकार बने हुए हैं। अतएव यह न्यायालय भारतीय मानवता के इस वंचित एवं अशक्त भाग के उद्धार को अपना कर्तव्य मानता है ताकि उनके आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारिता को परिणत करने तथा उनके दमन एवं शोषण का अंत करने में वह सहायक हो सके। इस न्यायालय ने समुदाय के निर्धन एवं असुविधाग्रस्त भाग के आसान पहुंच के अन्दर न्याय को लाने हेतु लोक हितकारी वाद की रणनीति को विकसित किया है। इस न्यायालय ने देश के अधिकांश जनसमूह जो कमी, अभावग्रस्तता, तंगहाली एवं कष्ट का जीवन जी रहे हैं, के कल्याण के प्रति सदैव अत्याधिक ध्यान एवं चिंता दिखलाई है तथा इस देश के लाखों लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया है। इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि यह न्यायालय 'छोटे लोगों' के साथ वह व्यवहार नहीं कर रहा है जैसा यह बड़े उद्योगपतियों के साथ कर रहा है। वस्तुतः निर्धन एवं असुविधाग्रस्तों के प्रति इसके दर्शित सरोकार धनी एवं अच्छी स्थिति वालों के प्रति दर्शित से बहुत अधिक है क्योंकि परवर्ती अपने प्रभावी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा प्रचुर भौतिक संसाधनों के कारण अपने अधिकारों पर आक्रमण का प्रतिरोध कर सकते हैं जबकि निर्धन एवं असुविधाग्रस्त प्रतिरोध करने एवं लड़ने का सामर्थ्य या इच्छा ही नहीं रखते हैं।

1. Assign proper title to the Paragraph.

इस पैराग्राफ का उचित शीर्षक दीजिए।

2. How small men are in disadvantageous position to realize their rights ?

छोटे-लोग अपने अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिये किस प्रकार से अहितकर स्थिति में हैं ?

3. What is Public Interest Litigation ?

लोक हितकारी वाद क्या है ?

4. What is the role of the Supreme Court of India in protecting the rights of the poor people ?

निर्धन लोगों के अधिकारों के संरक्षण में उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका है?

5. In what way the poor continue to remain victims of an exploitative society ?

निर्धन लोग किस प्रकार शोषक समाज के शिकार बने हुए हैं?

SECTION - II

खण्ड – II

Note : This section contains fifteen (15) questions, each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks.

(5x15=75 marks)

नोट : इस खंड में पाँच-पाँच (5-5) अंकों के पंद्रह (15) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है।

(5x15=75 अंक)

6. Explain the doctrine of pith and substance in relation to distribution of legislative powers between the Union and the States.

तत्त्व एवं सार के सिद्धान्त की, संघ एवं राज्यों में विधायी शक्तियों के वितरण के सन्दर्भ में, विवेचना कीजिए।

7. Enumerate the procedure of amending the constitution. Also discuss its limit.

संविधान के संशोधन करने की प्रक्रियाओं की परिगणना कीजिए। इसकी सीमाओं की भी विवेचना कीजिए।

8. What is meant by "Personal Bias" ?

“व्यक्तिगत पक्षपात” से आपका क्या तात्पर्य है।

9. What is “fiction theory” of legal personality ?

विधिक व्यक्तित्व का “कल्पना का सिद्धान्त” क्या है?

10. Distinguish between common intention and similar intention.

सामान्य आशय एवं समान आशय में अन्तर बताइये।

11. Explain the principle of absolute under environmental law.

पर्यावरणीय विधि के अन्तर्गत पूर्ण दायित्व के सिद्धान्त को समझाइये।

12. Discuss the importance of the advisory opinion of the International Court of Justice.

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सलाहकारी मत के महत्व की विवेचना कीजिये।

13. Distinguish between territorial asylum from extra-territorial asylum.

प्रादेशिक आश्रय एवं बाह्य-प्रादेशिक आश्रय में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

14. Explain Talaq-i-Tafweez and its essential ingredients.

‘तलाके तफवीज’ की व्याख्या कीजिए और उसके अनिवार्य घटकों को स्पष्ट कीजिए।

15. Define constructive dessertion. Is it subject to Judicial Scrutiny.

‘विवक्षित अभिव्यंजन’ की परिभाषा कीजिए क्या यह न्यायिक संविक्षा के अधीन है।

16. What do you mean by partnership at will ?

“इच्छा पर भागीदारी” से आप क्या समझते हैं?

17. What are the advantages of registration of a firm ?

एक फर्म के पंजीकरण के क्या लाभ है?

18. Discuss the role of the National Human Rights Commission in promotion of Human Rights Education.

मानव अधिकार शिक्षा के प्रोत्साहन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिये।

19. Briefly discuss the functions of the U.N. High Commissioner for Human Rights.

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिये।

20. Distinguish among Malfeasance, Misfeasance and Non-feasance.

मालफीसेन्स, मिसफीसेन्स एवं नोन-फीसेन्स में अन्तर कीजिये।

SECTION - III

खण्ड – III

Note : This section contains five (5) questions from each of the electives / specialisations. The candidate has to choose only one elective / specialisation and answer all the five questions from it. Each question carries twelve (12) marks and is to be answered in about two hundred (200) words.

(12x5=60 marks)

नोट : इस खंड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता से पाँच (5) प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता को चुनकर उसी में से पाँचों प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न बारह (12) अंकों का है व उसका उत्तर लगभग दो सौ (200) शब्दों में अपेक्षित है।

(12x5=60 अंक)

Elective - I

विकल्प – I

21. "Federalism has in recent years, witnessed a change from the dogmatic to dynamic approach". Discuss the changing approach and point out the main deviations in the working of the Constitution of India.
 "परिसंघवाद में इधर अद्यतन वर्षों में एक परिवर्तन हठधर्मिता से गत्यात्मकता का स्वरूप दृष्टि गोचर हुआ है।" इसके बदलते हुये स्वरूप की विवेचना कीजिए एवं भारतीय संविधान के संचालन में जो मुख्य विचलन हुए हैं, उनको इंगित कीजिए।
22. Explain the provisions relating to protection and improvement of environment in our constitution, with special reference to the role of judiciary in this regard.
 हमारे संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से संबंधित उपबन्धों को, इस सम्बंध में न्यायपालिका की भूमिका का विशेष सन्दर्भ देते हुए स्पष्ट कीजिए।
23. "The Supreme Court in Menaka Gandhi's case has revolutionized the law relating to personal liberty under Article 21 of the constitution". Explain with illustration.
 "उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी के केस में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित विधि में क्रांति ला दी है।" उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए।
24. "The recent judicial pronouncement on the question of appointment of the judges of the Supreme Court and the High Courts is dominated by the emphasis on integrated participatory-consultative process". Elucidate.
 "उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्ति के प्रश्न पर अद्यतन न्यायिक निर्णय, इन नियुक्तियों के लिए एक समेकित-भागग्राही-परामर्शी प्रक्रिया पर बल देने की भावना से प्रेरित है।" विस्तृत समीक्षा कीजिए।

25. "Secularism is neither anti-God nor pro-God. It eliminates God from the matters of state and ensures that no one shall be discriminated on the grounds of religion". In the light of the above observation, discuss the true impost of freedom of religion guaranteed under the constitution.

“पंथ निरपेक्षता न तो ईश्वर विरुद्ध है और न ही ईश्वर समर्थक है। यह राज्य के विषयों में ईश्वर को नकार देती है एवं इस बात को सुनिश्चित करती है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।” उपर्युक्त अवधारणा के प्रकाश में संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी के वास्तविक आशय की विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Elective - II

विकल्प – II

21. Explain the nature and scope of Administrative Law.
प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं व्याप्ति को समझाइये।
22. Discuss about the Right to be heard. Refer to decided cases.
सुने जाने के अधिकार के सम्बंध में चर्चा कीजिये। निर्णित वादों का हवाला दीजिये।
23. Explain the mechanism of control over Administrative Discretion.
प्रशासनिक विवेक पर नियन्त्रण की यांत्रिकी को समझाइये।
24. While discussing about the importance of Lok Pal, state the reasons why Government of India has not established Lok Pal is so for ?
लोकपाल के महत्व पर चर्चा करते हुए बताइये कि भारत सरकार ने अब तक लोकपाल की स्थापना क्यों नहीं की है?
25. What are the other Authorities under Article 12 of Indian Constitution against whom the writ can be issued ?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत अन्य प्राधिकारी कौन हैं जिनके विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है।

OR / अथवा

Elective - III

विकल्प – III

21. "Jurisprudence is the science of the first principles of Civil Law". Discuss and compare this definition with other leading definitions of Jurisprudence.
विधिशास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धान्तों का विज्ञान है। विवेचना कीजिये तथा इस परिभाषा की विधि की अन्य मुख्य परिभाषाओं से तुलना कीजिये।

22. Critically examine Hart's concept of Law.
हार्ट द्वारा दी गई विधि की संकल्पना की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये।
23. Evaluate the application of Doctrine of Precedent in Judicial Process in India.
भारत में न्यायिक प्रक्रिया में पूर्वनिर्णय के सिद्धान्त की प्रयोज्यता का मूल्यांकन कीजिये।
24. Explain the concept of possession referring to various theories.
विभिन्न सिद्धान्तों का हवाला देते हुए आधिपत्य की अवधारणा को समझाइये।
25. "Rights and Duties are correlatives". Explain.
अधिकार एवं कर्तव्य समवर्ती होते हैं। समझाइये।

OR / अथवा

Elective - IV

विकल्प – IV

21. Can a person be held liable for defamation on making exaggerated statements though nobody believes what has been said ? Discuss with the help of decided cases.
क्या कोई व्यक्ति, जो अतिशयोक्ति कथन करता है चाहे उस के कथन पर कोई विश्वास नहीं करें, मानहानी के लिये उत्तरदायी होगा ?
22. What are the exceptions to an offence of murder under Section 300 I.P.C ?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 में हत्या के अपराध के क्या अपवाद हैं।
23. Discuss the importance of *mens rea* in criminal law.
आपराधिक विधि में दुराशय के महत्व की विवेचना कीजिए।
24. Explain the term "Criminal misappropriation" used in Section 403 I.P.C.
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 में प्रयोग किये गये पद्य "आपराधिक दुर्विनियोग" की व्याख्या कीजिए।
25. Z, while going abroad makes a request to A that Z's furniture he kept in A's godown during his absence. Z also agrees to pay him Rs. 5000/- for using A's godown. A sells the furniture when Z was abroad. What offence A has committed ?
Z विदेश जाते समय A को प्रार्थना करता है कि उस की अनुपस्थिति में Z का फर्नीचर A अपने गोदाम में रखे। Z ने A के गोदाम के उपयोग के लिए उसे रु. 5000/- देना स्वीकार किया। जब Z विदेश में था A ने फर्नीचर बेच दिया। A ने कौन सा अपराध किया।

OR / अथवा

Elective - V

विकल्प – V

21. 'Environment (protection) Act is an umbrella legislation'. Comment.
'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एक छत्र विधायन है।' टीका कीजिए।
22. While referring to the provisions of the Rio Declaration and of the Johannesburg Declaration explain the concept of sustainable development and examine its states under international law.
रियो घोषणापत्र तथा जोहान्सबर्ग घोषणापत्र के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए निरंतर विकास की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत इसकी परिस्थिति का परीक्षण कीजिए।
23. 'Existing environmental statutes in India only pay lip service to the idea of public participation in environmental decision-making'. Comment.
'भारत में वर्तमान पर्यावरण विधायन पर्यावरणीय निर्णय-निर्माण में लोक सहभागिता के विचार के प्रति केवल दिखावटी प्रेम दर्शित करते हैं।' टीका कीजिए।
24. While referring to relevant provisions of the wild life Protection Act and decided cases discuss the law relating to wild life protection in India.
वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं निर्णीत वादों का उद्धरण करते हुये भारत में वन्यजीवन संरक्षण विधि की विवेचना कीजिए।
25. Discuss the salient features of the Forest Conservation Act. Refer to decided cases.
वन संरक्षण अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। निर्णीत वादों का उल्लेख करें।

OR / अथवा

Elective - VI

विकल्प – VI

21. 'International law is a law but it is a weak law as compared to municipal law'. Comment.
'अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विधि है परन्तु यह राष्ट्रीय विधि की तुलना में एक दुर्बल विधि है।' टीका कीजिए।
22. 'Distinction between *de factor* and *de jure* recognition is essentially political rather than legal'. Comment and discuss the impact of the so called Estrada doctrine on the recognition of governments.
'तथ्यतः एवं विधितः मान्यता में अंतर मुख्यतः राजनीतिक न कि विधिक है।' टीका कीजिए तथा सरकारों की मान्यता पर तथाकथित एस्ट्रेडा सिद्धान्त के प्रभाव की विवेचना कीजिए।
23. Define nationality and discuss the modes of acquiring nationality.
राष्ट्रीयता की परिभाषा दीजिए तथा राष्ट्रीयता प्राप्त करने के तरीकों की विवेचना कीजिए।

24. Discuss the composition and functions of the Economic and Social Council.
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के संगठन तथा कार्यों की विवेचना कीजिए।
25. Discuss the organization and structure of WTO Dispute Settlement Mechanisms and examine its role in the development of international trade law.
विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान प्रणाली के संगठन तथा संरचना की विवेचना कीजिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि के विकास में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Elective - VII

विकल्प – VII

21. "Breakdown theory of divorce represents the modern trend of divorce". Explain.
“विघटन का सिद्धान्त विवाह विच्छेद का आधुनिक रुख को प्रदर्शित करता है।” विवेचना कीजिए।
22. "Divorce (Muslim Law) is good in law, though bad in theology". Discuss.
“मुस्लिम विधि में तलाक को बुरा मानते हैं। पर विधि में इसे अच्छा मानते हैं।” विवेचना कीजिए।
23. "Polygamy is an exception and not a general rule in Muslim Law". Discuss.
“मुस्लिम विधि में उपवाद के रूप में है। न कि सामान्य नियम।” विवेचना कीजिए।
24. Discuss the powers and duties of de-facto guardians under Muslim Law and Hindu Law, with the help of cases.
मुस्लिम और हिन्दू विधियों में तथ्यतः संरक्षक के अधिकार एवं कर्तव्यों की वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।
25. Distinguish between void and voidable marriages under Hindu Marriage Act 1955.
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में, शून्य एवं शून्यकरणीय विवाहों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

OR / अथवा

Elective - VIII

विकल्प – VIII

21. "The purpose of the law of human rights is to ensure that individuals are protected from the excesses of states and governments". Elaborate this statement.
‘मानवाधिकार विधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को राज्यों एवं सरकारों की ज्यादतियों से संरक्षण प्राप्त हो।’ इस कथन का विशदीकरण कीजिए।

22. "The substance of the rights guaranteed under the International Covenant on Economic and Social Rights, is diffuse and obligations that the covenant imposes are less specific". Elaborate this statement.

‘आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की प्रसंविदा के अन्तर्गत प्रत्याभूत अधिकारों का सार विसरित है तथा प्रसंविदा द्वारा अधिरोपित वाध्यतायें कम विशिष्ट हैं।’ इस कथन का विशदीकरण कीजिए।

23. 'The recognition of women's rights as human rights is a historic development in the history of human rights movement'. Comment.

‘स्त्री अधिकारों की मानवाधिकारों के रूप में मान्यता मानवाधिकार आन्दोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक विकास है।’ टीका कीजिए।

24. Explain the concept of 'minority rights' and discuss the steps that the United Nations has taken for the protection of these rights.

‘अल्पसंख्यक अधिकार’ की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन अधिकारों के संरक्षण हेतु उठाये गये कदमों की विवेचना कीजिए।

25. While referring to recommendations of the systemic National Human Rights Commission, in respect of reforms evaluate its role in the protection of human rights.

व्यवस्था सम्बन्धी सुधारों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुतियों का उल्लेख करते हुए मानवाधिकार संरक्षण में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

OR / अथवा

Elective - IX

विकल्प – IX

21. Examine the two views prevailing on the subject of existence of some broad unifying principle of all tortious liability.

सभी प्रकार के अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व के कुछ व्यापक एकीकृत सिद्धान्त की विद्यमान्यता के विषय पर प्रचलित दो विचारों का परीक्षण कीजिए।

22. "Defamation of a person is taken to be false until it is proved to be true". — Comment.

“एक व्यक्ति की मानहानि को झूठा माना जाता है जब तक इसे सत्य साबित न कर दिया जाय।” टीका कीजिए।

23. Write a critique of emerging trends in Absolute liability in India.
भारत में आत्यांतिक उत्तरदायित्व के नवोदित प्रवृत्तियों पर एक टिप्पणी लिखिए।
24. Critically examine the ingredients of contributory negligence.
योगदायी उपेक्षा के तत्वों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
25. Distinguish between “Contract of Services” and “Contract for Services” referring to the Consumer Protection Act 1986.
‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के सन्दर्भ में सेवाओं की संविदा’ एवं ‘सेवाओं के लिये संविदा’ में विभेद कीजिए।

OR / अथवा

Elective - X

विकल्प—X

21. Explain the doctrine Caveat Empter.
“क्रेता सावधान रहें” के सिद्धान्त को समझाइये।
22. Discuss the legal position of Director in a company.
एक कम्पनी में निदेशक की विधिक स्थिति की विवेचना कीजिए।
23. What do you mean by Promissory Note ? Distinguish between Promissory Note and Bill of Exchange.
प्रतिज्ञा पत्र से आप क्या समझते हैं? प्रतिज्ञा पत्र एवं विनिमय पत्र में अन्तर बताइये।
24. Explain the doctrine “Nemo dat quid non habet”.
“विक्रेता क्रेता को स्वयं से अच्छे अधिकार नहीं दे सकता”, समझाइये।
25. Define partnership. Distinguish between Partnership and Joint Hindu family.
भागीदारी की परिभाषा दीजिये। भागीदारी एवं संयुक्त हिन्दू परिवार में अन्तर बताइये।

Prepp
Your Personal Exam Guide

Prepp
Your Personal Exam Guide

SECTION - IV

खण्ड – IV

Note : This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics.

(40x1=40 marks)

नोट : इस खंड में एक चालीस (40) अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. Impact of liberalisation of Labour Laws.

श्रम विधि पर उदारीकरण का प्रभाव।

OR / अथवा

Judicial overreach or Judicial Activism ?

न्यायिक अधिभाविता अथवा न्यायिक सक्रियता ?

OR / अथवा

Emerging Trends in Public Law Remedies

लोकविधि उपचारों की नवोदित प्रवृत्तियाँ।

OR / अथवा

Changing Dimensions of Cruelty as a ground of Matrimonial Remedies.

दाम्पत्य उपचारों के आधार के रूप में क्रूरता के परिवर्तनशील आयाम।

OR / अथवा

Climate Change : Need for an Effective Legal Regime.

जलवायु परिवर्तन : प्रभावी विधिक व्यवस्था की आवश्यकता।

FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words)

(in figures)

Signature & Name of the Coordinator

(Evaluation) Date